आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
आर0पी0 वाद सं0 27/2014-15
आवेदक- साधु साहा
बनाम
विपक्षी- साधु साह

आदेश

23-12-17 आवेदक द्वारा दिनांक 06.01.2016 को दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षी के द्वारा आवेदक की जमीन को अवैध रुप से दखल कर लिया है, जिसे उच्छेद कराना चाहता है। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई एवं दाखिल आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल को भेजा गया।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0न0	दाग न0	रकवा
खुटहरी	65	623	03 बीघा 02 धूर

आवेदक सुनवाई की तिथि को अनुपस्थित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अपने आवेदन पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि मौजा खुटहरी के ज0न0 65 दाग न0 623 रकवा 03 बीघा 02 धूर जमीन बेनी मंडल एवं लोचन मंडल पिता मानिक मंडल, गोखूल मंडल, गौर मंडल पिता दिबु मंडल के नाम से खतियान में दर्ज है। दाग न0 623 के दखल कॉलम में लोचन मंडल के नाम से दर्ज है जो आवेदक के दादा थे। उक्त कार्यवाही वाली जमीन का लगान खतियानी रैयत लोचन मंडल एवं उनके पिता के द्वारा दिया जाता था। पिता के मृत्यु के बाद आवेदक स्वयं लगान अदा कर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे है। विपक्षी का दाग न0 623 से कोई सरोकार नही है। कार्यवाही वाली जमीन किस्म बाड़ी कहके खतियान में दर्ज है जो वर्तमान में धानी के रुप में परिवर्तित कर दिया गया है। विपक्षी बाहूबली है। वे कार्यवाही वाली भूमि को अवैध रुप से दखल कर लिये है। जिसे खाली करने के लिए कहने पर मारपीट पर उतारु हो जाते है। अतएव मौजा खुटहरी ज0न0 65 दाग न0 623 रकवा 03 बीघा 02 धूर जमीन से विपक्षी को संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 42 के अधीन विपक्षी को उच्छेद करने की प्रार्थना किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी कानुन को मानने वाला शांतिप्रिय व्यक्ति है। आवेदक के द्वारा लाया गया वाद चलने लायक नही है। आवेदक एवं विपक्षी एक ही खतियानी रैयत के वारिसान है। ऐसी स्थिति में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 42 के अधीन कार्यवाही नही चल सकता है। आवेदक लोचन मंडल एवं विपक्षी गौर मंडल के वारिसान है। ऐसी स्थिति में एक ही वंशज के उपर उच्छेदी की कार्यवाही नही चल सकता है आवेदक को यदि वंटन कराना है तो सक्षम न्यायालय में जायें। इस वाद के माध्यम से न्यायालय का बहूमूल्य समय बर्बाद करने पर तुला हुआ है। विपक्षी कार्यवाही वाली जमीन पोषपूत्र के आधार पर प्राप्त किया है। तथा उक्त जमीन पर कृषि कार्य करते आ रहे है। उक्त जमीन को खेती योग्य बनाने के लिये विपक्षी काफी रुपया खर्च किये है जवकि आवेदक का कोई सहयोग नही रहा है। विपक्षी एक विकलांग व्यक्ति है जो छड़ी के सहारे चलते फिरते है। इसलिए उनका यह कहना है कि विपक्षी बाहूबली है, कहना गलत है। यदि वे खतियानी रैयत की जमीन का बंटवारा चाहते है तो वे सक्षम न्यायालय में जायें। इस वाद की कार्यवाही समाप्त

Scanned with CamScanner

करने की प्रार्थना किया है।

अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने पत्र सं0 919/रा0 दिनांक 2... 2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा खुटहरी ज0न0 65 बेनी मंडल – गो... मंडल ,गौर मंडल पिता दिनु मंडल लोचन मंडल पिता मानिक मंडल जाति सुढ़ी सा0 ... के नाम से खतियान में दर्ज है। दाग न0 623 के दखल कॉलम में लोचन मंडल के नाम से दर्ज है। आवेदक को वंशावली के आधार पर मौजा खुटहरी ज0न0 65 दाग न0 623 रकवा 03 बीघा 01 कट्ठा 13 धूर में से 15 कट्ठा 08 धूर जमीन हिस्सा बनता है लेकिन आवेदक के द्वारा 01 कट्ठा 16 धूर जमीन का दावा किया है। आवेदक एवं आवेदक के पिता के द्वारा दिनांक 10.04.1970 के द्वारा अनुमानित मुल्य 600 रुपया के द्वारा लेख्यकारी इंशान चन्द्र साहा पिता लोचन साहा सा0 गोसाईगॉव को एकरारनामा के द्वारा मौजा खुटहरी ज0न0 65 दाग न0 620 रकवा 16 कट्ठा 07 धूर, दाग न0 621 रकवा 08कट्ठा 09 धूर एवं दाग न0 627 रकवा 01 कट्ठा 04 धूर कुल रकवा 01 बीघा 18 कट्ठा 16 धूर जमीन अनिबंधित केवाला पर इंशान चन्द्र साहा का हस्ताक्षर दर्शाया गया है जो जाँच प्रतिवेदन के साथ अनिबंधित केवाल एवं वंशावली संलग्न है से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

1. मौजा खुटहरी ज0न0 65 बेनी मंडल व गोयन मंडल/लोचन मंडल पिता मानिक मंडल व गोखुल मंडल व गउर मंडल पिता दिलु मंडल जाति सुढ़ी सा0– गोसाईगॉव के नाम से खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति एवं उनका हिन्दी रुपान्तर।
2. मौजा खुटहरी ज0न0 65 रकवा 13 बीघा 05 कट्ठा 13 धूर जमीन की प्रधानी खजाना रसीद की छाया प्रति। जिसमें नाम देहिन्दा चामु साहा, राजकुमार साहा दर्ज है।

विपक्षी के द्वारा दाखिल कागजात की सूची।

1. मौजा खुटहरी ज0न0 65 रकवा 01 बीघा 18 कट्ठा 16 धूर जमीन की प्रधानी लगान रसीद वर्ष 2014–15 एवं 16–17 की छाया प्रति जिसमें पोषपुत्र के लिए अंकित है। तथा नाम अदाकर्त्ता साधु साहा दर्ज है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट है।

1. मौजा खुटहरी जमाबंदी न0 65 में खतियानी रैयत बेनी मंडल, गौर मंडल, गोकुल मंडल पिता दिनु मंडल लोचन मंडल पिता मानिक मंडल के नाम से दर्ज है। आवेदक लोचन मंडल के वंशज है तथा विपक्षी गौर मंडल खतियानी रैयत के वंशज है।
2. उभय पक्ष संयुक्त खतियानी रैयत के वारिसान होने के कारण यह मुख्य रुप से बंटन आदि से संबंधित मामले प्रतीत होते है। जिसका नीपटारा इस वाद के माध्यम से संभव नही है।

उपर्यूक्त तथ्यो पर सम्यक विचारोपारांत यह स्पष्ट है कि उभय पक्ष मौजा खुटहरी ज0न0 65 के खतियानी रैयत के वारिसान है। एक ही खतियानी रैयत के मध्य इस वाद के माध्यम से उच्छेदी की कार्यवाही नही हो सकता है। यह स्वतव से जुड़ा मामला है। आवेदक यदि चाहे तो वे सक्षम न्यायालय में जा सकते है इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही (Drop) समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner